अति महत्वपूर्ण।

फाइल नं0-71-2099/833/2021

60/2023।/288570/2023

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
3. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
4. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल्य चिकित्सा एंव स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
5. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा।
6. कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुल सचिव, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई इटावा।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
9. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
10. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ:दिनांक 31 मार्च, 2023

विषयः- चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संस्थाओं यथा-कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण/चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थानों/राजकीय मेडिकल कॅालेजों/स्वशासी मेडिकल कॅालेजों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासकीय आदेश संख्या-I/253152/2022-71-2099/833/2021, दिनांक 26.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासकीय कार्य पद्धति को 'लेस-पेपर ऑफिस' में परिवर्तित करके शासकीय कार्य चालन क्षमता में सार्थक सुधार करने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित संस्थाओं यथा-कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण/चिकित्सा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थानों/राजकीय मेडिकल कॉलेजों/स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में एन0आई0सी0 द्वारा विकसित ई- ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने एवं इस प्रायोजना हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा नामित नोडल एजेन्सी 'यूपी इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन (यूपीएलसी)' को ई-ऑफिस एवं डिजिटाइजेशन (स्कैनिंग) हेतु अधिकृत किए जाने के आदेश निर्गत किए गये हैं।

2- वरिष्ठ प्रबंधक (साफटवेयर) 'यूपी इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन (यूपीएलसी)' के पत्रांक-यूपीएलसी सॉफटवेयर:3108:2022-23:921:9435, दिनांक 16.01.2023 एवं पत्रांक-यूपीएलसी सॉफटवेयर:3108:2022-23:921:9499, दिनांक 01.02.2023 द्वारा उक्त प्रायोजना हेतु अनुमानित आगणन/धनराशि रू0 7134.90 लाख (जी0एस0टी0 सहित) का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3- उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित उक्त चिकित्सा संस्थाओं हेतु अधिकृत एजेन्सी 'यूपी इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन (यूपीएलसी)' के माध्यम से ई-ऑफिस एवं डिजिटाइजेशन व्यवस्था लागू किए जाने एवं उक्त प्रायोजना हेतु यू0पी0एल0सी0 द्वारा प्रस्तावित अनुमानित आगणन/धनराशि रू0 7134.90 लाख (जी0एस0टी0 सहित) (रू0 इकहत्तर करोड चौतीस लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु प्रकाशित निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों एवं अनुमानित दरों में जो दरें न्यूनतम होगी वही दरें मान्य होगी।

(2) प्रश्नगत प्रायोजना में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई 2017 एवं 1048/78-2-2017-37आईटी/2015 दिनांक 15 मई 2017 द्वारा निर्धारित संस्थागत शुल्क/दर अनुमन्य होगा।

(3) प्रश्नगत प्रायोजना में सम्मिलित मदों की अन्तिम दरों एवं कार्यदायी संस्था के चयन हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन (यूपीएलसी)' द्वारा शीघ्रतिशीघ्र निविदा प्रकाशित की जाएगी।

(4) चिकित्सा शिक्षा विभाग में ई-ऑफिस संचालन, मास्टर डाटा मैपिंग एवं विभाग द्वारा नामित मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग यूपीएलसी द्वारा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।

(5) सम्बन्धित चिकित्सा संस्था के प्रमुख (निदेशक/कुलपति/कुलसचिव/प्रधानाचार्य एवं अन्य) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ई-ऑफिस प्रायोजना के अन्तर्गत द्विरावृत्ति नहीं हो रही तथा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नहीं है, इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही वर्तमान में किसी योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) सम्बन्धित चिकित्सा संस्था के प्रमुख (निदेशक/कुलपति/कुलसचिव/प्रधानाचार्य एवं अन्य) के द्वारा स्वयं के स्तर से इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि जो भी अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उसका क्रय नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं अवसंरचानात्मक सुविधाओं का क्रय किया जाएगा, जो चिकित्सा संस्था में उपलब्ध नहीं हैं।

(7) प्रश्नगत प्रायोजना में किसी भी स्तर पर विसंगति/अनियमितता परिलक्षित होने पर सम्पूर्ण उत्तर दायित्व चिकित्सा संस्थाओं के प्रमुख का होगा।

(8) पत्रावली/अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन का कार्य चिकित्सा संस्था परिसर के अन्दर संबंधित अनुभाग/कक्ष में उपकरण स्थापित कर सुनिश्चित कराया जाएगा।

(9) सेवाप्रदाता द्वारा कोई भी अभिलेख चिकित्सा संस्था परिसर के बाहर नहीं ले जाया जाएगा। जिन अभिलेखों की स्कैनिंग पूर्ण नहीं की जा सकती उन्हें संबंधित अनुभाग/कक्ष में ही रखा जाएगा।

(10) कार्यदायी संस्था स्कैनिंग अभिलेखों के डेटा की एक प्रति सम्बन्धित चिकित्सा संस्था को सी0डी0/हार्ड ड्राइव में उपलब्ध कराएँगे।

4- प्रश्नगत प्रायोजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय सम्बन्धित चिकित्सा संस्थाओं के राजस्व लेखा पक्ष के सुसंगत लेखा शीर्षक के मानक मद '20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) मद' तथा' 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' से वहन किया जाएगा।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- उपर्युक्तानुसार, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक-समस्त चिकित्सा संस्था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययायक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।